श्रीमान राजस्व मंडलाध्यक्ष महोदय, केम्प भोपाल म.प्र.

पृ.क्र. रिव्यू 1312-I/14

विजय पथरोड पुत्र बाबूलाल
निवासी–निकासा, कुम्हार गली विदिशा–आवेदक

विरूद्ध

1. सुभाष बोहत पुत्र डालचंद बोहत
2. आशा बोहत पत्नी सुभाष बोहत
3. हुकुमचंद बोहत पुत्र डालचंद बोहत
4. साधना बोहत पत्नी हुकुमचंद बोहत
5. तारा बोहत पुत्र डालचंद बोहत
6. रेखा बोहत पत्नी तारा बोहत
7. अमित बोहत पुत्र डालचंद बोहत
8. प्रेमबाई पत्नी डालचंद बोहत

निवासी–निकासा, कुम्हार गली,
विदिशा (म.प्र.) .... अनावेदक

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनर्विलोकन

आवेदन :– भू.रा.सं. की धारा 51 के तहत।

पक्षकार :– विजय पथरोड़, विरूद्ध सुभाष बोहत–आदि।

प्रकरण :– पुनरीक्षण (50) प्र.क्र.–8–223 वर्ष 2014

आदेश :– आदेश दिनांक 30.01.14

महोदय,

श्रीमान न्यायालय की विधिक आपत्तियों के आधार पर तथा न्यायालय के विधि विरूद्ध आदेशों के आधार पर आवेदक के प्रकरणों को न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता रहा है। अनावेदकगण जो प्रकरण से संबंधित सभी नकलें प्राप्त करने के बाद भी निचले किसी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं तथा प्रकरण के विरूद्ध कोई साक्ष्य व जबाव न्या. में पेश नहीं किया है।

श्रीमान उक्त प्रकार के न्यायिक आदेशों से आरोप सिद्ध आरोपियों को विधिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है।

19-3-14

निरंतर ... 02

(3)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यु 1312–एक/14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.5.14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन **इस न्यायालय द्वारा** प्रकरण क्रमांक निगरानी 223–एक/14 में पारित आदेश दिनांक 30.1.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 3– आवेदक के तर्कों पर विचार किया तथा विवादित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	27-5-14